रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 352] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 1970/आश्विन 2, 1892

No. 352] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 1970/ASVINA 2, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September 1970

S.O. 3175.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 27th day of September, 1970 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI [except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Tamil Nadu, namely:—

I. The areas within the limits of the revenue villages of Mallanginar, Varalotti and Periavallikulam in Aruppukottai Taluk in Ramanathapuram district;

II. The area within the limits of the revenue village of Puliangulam in Virudhungar sub-taluk in Ramanathapuram district.

[No. F. 604(11)/70-HI.]

D S NIM, Jt. Secy.

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1970

का० आ० सं० 3175.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सितम्बर, 1970 के सत्ताईसवें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 [धारा 76 की उपधारा (1) और 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबन्ध तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

1. रामनाथपुरम् जिले में अरुप्पुकोट्टई तालुक के राजस्व ग्राम मल्लंगीनार, वरलोत्ती और पेरियावल्लीकुलम् की सीमाओं के भीतर वाले क्षेत्र ;

2. रामनाथपुरम् जिले विरुदनगर सब-तालुक के राजस्व ग्राम पुलियांगुलम् की सीमाओं के भीतर वाला क्षेत्र ।

[सं० फा० 604(11)/70–एच आई]

डी० एस० निग, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1970